एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस का प्रदर्शन राष्ट्र के खिलाफ अपराधः भाजपा

नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि. स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत मंडपम में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को राष्ट्र के खिलाफ अपराध बताया है। भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस अब राष्ट्र विरोधी हो गयी है।

संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा, "कांग्रेस द्वारा किया गया यह विरोध निंदनीय है। यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। माफी मांगने की जगह कुछ कांग्रेस नेता इसको जायज ठहरा रहे थे और कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। दुनिया के सामने वो भारत को बदनाम करने के लिए इसे युवाओं का आक्रोश कह रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस भाजपा की आलोचना कर रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब दुनिया भारत की प्रगति की सराहना कर रही है तो इसे स्वीकार करना चाहिए है। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी कहा कि एक दशक पहले डिजिटल लेनदेन बहुत कम थे और आज तो गली–मोहल्ले के विक्रेता भी यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि फिर भी राहुल गांधी भारत की इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं और देश का अपमान करना जारी रखे हुए हैं।

रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं को उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करने के कहा लेकिन राहुल न जाने कब समझदारी से पेश आएंगे? युवा कांग्रेस के इस प्रदर्शन से भाजपा ही नहीं देश के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए कि एआई शिखर सम्मेलन भाजपा का कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के लिए गौरव की बात है, लेकिन राहुल को यह बात समझ में नहीं आती।

उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है। जब बात राष्ट्रहित की हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव नहीं जीत पाने की हताशा में कांग्रेस अब देश के खिलाफ आचरण कर रही है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री मोदी को इतने भव्य एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने इस सम्मेलन की सराहना की।

देश के 52 हजार गाँवों में होगा आदिवासी विकास

नई दिल्ली, 20 फरवरी (हिं. स.)। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम (एबीवीकेए) ने देशभर में आदिवासी सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पैन–इंडिया समझौते पर (एमओयू) हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत 52 हजार गांवों में व्यवस्थित और प्रभावशाली विकास कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय पहल से आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास, सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक संरक्षण को नया संबल मिलेगा।

इस ऐतिहासिक एमओयू समारोह में वनवासी कल्याण आश्रम के महासचिव योगेश श्रीधर बापट, अंडर ट्रायल वेलफेअर असोसिएशन (यूटीडब्ल्यूए) के अध्यक्ष दिगंत शर्मा, सौभाग्य योग साधना फाउंडेशन (एसवाईएसएफ) के प्रत्यूष शर्मा, भारत टैक्सप्लेयर प्लेटफार्म फाउंडेशन के सीए रवींद्र तुराखिया और टोरस सोशल फाउंडेशन (टीएसएफ) के विश्वास जाधव उपस्थित थे।

इस अवसर पर मौजुदा प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत की आत्मा उसके जनजातीय समाज में बसती है। यह एमओयू केवल कागज नहीं, बल्कि सम्मान, सहभागिता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह साझेदारी 15 साल की दीर्घकालिक योजना के तहत आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। एमओयू के अंतर्गत एक मजबूत क्रियान्वयन ढांचा तैयार किया गया है, जो स्थानीय गतिविधियों को राष्ट्रीय रणनीति और संसाधनों से जोड़ता है।

इस समझौते के तहत साझेदार संगठन आदिवासी छात्रावास और आवासीय शिक्षा, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं (मोबाइल मेडिकल यूनिट, चिकित्सा शिविर, टेलीमेडिसिन), ग्रामीण अवसंरचना और जल परियोजनाएं, आजीविका एवं स्वरोजगार पहल, संवैधानिक अधिकार संरक्षण और कानूनी सशक्तिकरण,सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, सामुदायिक सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान, निगरानी और संसाधन जुटाने की रणनीति आदि क्षेत्रो मे काम करेंगे। साथ ही इस साझेदारी में बहु–स्तरीय राष्ट्रीय और राज्य स्तरी य निगरानी व्यवस्था होगी, जिससे परियोजनाओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलीटी (सीएसआर) , सरकारी अनुदान, परोपकारी योगदान और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।

बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए तमिलनाडु–आंध्र सीमा पर सख्ती, वाहनों पर कीटाणुनाशक का छिड़काव तेज

वेल्लोर, 21 फ़रवरी (हि.स.)। बर्ड फ्लू के संभावित प्रसार को रोकने के लिए तमिलनाडुदृआंध्र प्रदेश सीमा पर एहतियाती कदम तेज कर दिए गए हैं। सीमा चेकपोस्टों पर आंध्र प्रदेश से आने वाले वाहनों पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और सघन जांच की जा रही है। दरअसल, पिछले महीने चेन्नई के अडयार क्षेत्र में अचानक कई कौए मृत पाए गए थे। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय पशु रोग अनुसंधान संस्थान भेजे। जांच में पुष्टि हुई कि कौओं में एच5एन1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस (बर्ड फ्लू) का संक्रमण था।

स्थिति को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पड़ोसी आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में दो पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद निगरानी और कड़ी कर दी गई है। जिले के सात क्षेत्रों में प्रत्येक में तीन टीमों के हिसाब से कुल 21 विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो पोल्ट्री फार्म, बाजारों और पक्षियों की अधिकता वाले इलाकों में निरीक्षण कर रहे हैं।

तमिलनाडुदृआंध्र सीमा के कृष्टियनपेट, साइनागुंडा और पत्रापल्ली चेकपोस्ट पर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा आंध्र प्रदेश से वेल्लोर जिले में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। मुर्गियां, मुर्गीचारा और अंडे लेकर आने वाले वाहनों पर कीटाणुनाशक छिड़काव अनिवार्य किया गया है। बिना वैध दस्तावेजों या संदिग्ध सामग्री वाले वाहनों को वापस भेजा जा रहा है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वेल्लोर जिले में अब तक बर्ड फ्लू का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि वे मृत पक्षियों को न छुएं और तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दें। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि दुर्लभ मामलों में यह संक्रमण मनुष्यों में भी फैल सकता है।

भारत–ब्राजील पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने को प्रतिबद्धः प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 21 फ़रवरी (हि. स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत और ब्राजील आने वाले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि पारस्परिक विश्वास और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतिबिंब है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत–ब्राजील संबंधों को राष्ट्रपति लूला की दूरदृष्टि और प्रेरक नेतृत्व का लंबे समय से लाभ मिलता रहा है। बीते वर्षों में कई अवसरों पर हुई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भेंट में उन्होंने भारत के प्रति राष्ट्रपति लूला की गहरी मित्रता और विश्वास को महसूस किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति लूला ने ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेकर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा प्रदान की है। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ आए बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि यह दल दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक विश्वास का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत–मर्कोसुर व्यापार समझौते के विस्तार से आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को विशेष महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि यह साझेदारी न केवल दोनों देशों बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मानते हैं कि प्रौद्योगिकी समावेशी होनी चाहिए और निष्पक्ष प्रगति का सेतु बननी चाहिए।

दिल्ली यातायात पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर जारी की सलाह, 21 से 20 फरवरी तक कई सड़कों पर रहेगा नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 21 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट–2026 के मद्देनजर दिल्ली यातायात (ट्रैफक) पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार समिट का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान में होगा। कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष , सरकार प्रमुख, मंत्रीगण, प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इसे देखते हुए नई दिल्ली जिला और उससे सटे क्षेत्रों में व्यापक यातायात नियंत्रण लागू किया जाएगा। पुलिस के अनुसार इसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ आम जनता की आवाजाही को भी यथासंभव सुगम बनाए रखना है। आवश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को हर समय प्राथमिकता दी जाएगी।

21 से 20 फरवरी के बीच निम्न प्रमुख मार्गों से बचने की सलाह दी गई हैकृ मथुरा रोड (सुब्रमण्यम भारती मार्ग टी–पॉइंट से लोधी रोड फ्लाईओवर तक), सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, मदर टेरेसा क्रेसेंट, सरदार पटेल मार्ग, जनपथ, फिरोज शाह रोड, शांति पथ, सत्य मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू (भीकाजी कामा से यशवंत प्लेस तक), कमाल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, सी–हेक्सागन, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सिकंदर रोड, अशोका रोड, पृथ्वीराज रोड, कौटिल्य मार्ग, पुराना किला रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, तिलक मार्ग, भगवान दास रोड, सेंट्रल स्पाइन रोड, नॉर्थ एक्सेस रोड, रिंग रोड (ब्रार स्क्वायर से एम्स तक), कैरिअप्पा मार्ग (किरबी प्लेस तक), लोधी रोड, नीलागुंबद, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग, कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, औरोबिंदो मार्ग (एम्स यू–टर्न से आगे), तुगलक रोड, सफदरजंग रोड, पंचकुइयां रोड (मंदिर मार्ग टी–पॉइंट से कनॉट प्लेस तक), उलान बतोर मार्ग, द्वारका लिंक रोड, एएफएस पालम रोड, थिमैया रोड, परेड रोड, एनएच–48 (रंगपुरी से धौला कुआं), राव तुला राम मार्ग, पंचशील मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार मार्ग आदि। यात्रियों को मेट्रो सेवा का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है। सड़क मार्ग से जाने वालों के लिए गुरुग्राम, द्वारका, पष्चिम, उत्तर व पूर्वी दिल्ली से अलग–अलग वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। एनएच–48, यूईआर–2 (नया संचालित टनल), राव गजराज सिंह मार्ग, राव तुला राम मार्ग, पंखा रोड और सेक्टर–22 द्वारका रोड प्रमुख विकल्प रहेंगे।

वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बसों को आवष्यकता अनुसार डायवर्ट किया जाएगा।

केंद्र सरकार कल श्रीनगर में टेली–लॉ पर आयोजित करेगी कार्यशाला

नई दिल्ली, 21 फरवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार दिशा योजना के तहत टेली–लॉ (दूरस्थ विधिक परामर्श सेवा) कार्यक्रम पर क्षेत्रीय कार्यशाला 21 फरवरी को श्रीनगर में आयोजित करेगी। इसका उद्देश्य तकनीक के जरिए लोगों तक सस्ता और आसान न्याय तक पहुंच देना है।

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार, कार्यशाला श्रीनगर के शेर–ए–कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोपहर में होगी। यह दिशा योजना के तहत टेली–लॉ पहल का हिस्सा है। इसका मकसद लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और न्याय तक पहुंच आसान बनाना है।

कार्यक्रम में कानून एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू–कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्लीसहित करीब 800 लोग मौजूद रहेंगे। खास सत्र में जम्मू–कश्मीर में योजना के तहत किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यक्रम में दिशा योजना से जुड़े बेहतर काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही दिशा योजना का वार्षिक ई–कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। इसमें विभाग की सालभर की गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी होगी।

चित्रकूट में 53वां राष्ट्रीय रामायण मेला आज से 21 फरवरी तक

चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), 21 फरवरी (हि.स.)। भगवान श्रीराम की तपोस्थली चित्रकूट के सीतापुर में आज 53वें राष्ट्रीय रामायण मेला महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। प्रखर समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया परिकल्पित यह मेला (21–21 फरवरी) देश का बहुमान्य सांस्कृतिक समारोह है।

रामायण मेला का उद्घाटन दोपहर दो बजे जगतगुरु राघवाचार्य और समापन 21 फरवरी को विष्णु सम्प्रदायाचार्य जगद्गुरु संतोषाचार्य सतुवा करेंगे। उद्घाटन समारोह में उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति अजीत कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

रामायण मेला के नोडल अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अरुण कुमार ने मेला की पूर्व संध्या पर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेला परिसर में कई विभागों की सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगेंगी। उन्होंने मेला परिसर में लगने वाले बड़े झूला में सुरक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से एनओसी प्राप्त करने को कहा है।

आयोजन समिति के अनुसार, पांच दिवसीय यह आयोजन देशभर के संतों, कलाकारों और श्रद्धालुओं का संगम बनेगा। उद्घाटन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शृंखला आरंभ होगी। आज बुंदेलखंडी कलाकार रामाधीन आर्य, संजोत्री पांडे और शरद अनुरागी भजन, गीत और नृत्य नाटिका 'राम की शक्ति पूजा' का मंचन करेंगे। लोक संगीत और आल्हा गायन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।

सोमवार को संगीता राय और आकाशवाणी के कलाकार भजन, लोकगीत, लोकनृत्य और धार्मिक नौटंकी प्रस्तुत करेंगे। 21 फरवरी को डॉ अनु सिंह और जी टीवी के रूपेश मिश्रा रामायण पर केंद्रित नृत्य नाटिका और भजन प्रस्तुत करेंगे। इन प्रस्तुतियों में रामकथा के विभिन्न प्रसंगों को जीवंत किया जाएगा। मेले के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत करवरिया और महामंत्री डॉ. करुणा शंकर द्विवेदी ने बताया कि जिलाधिकारी पुलकित गर्ग का मेला की तैयारियों में भरपूर सहयोग मिला है। करवरिया ने बताया कि मेले में देशभर से संत, मनीषी, कथाव्यास, सांस्कृतिक दल और कलाकार भाग लेंगे। चित्रकूट के सभी अखाड़ों के संत और महात्मा शोभायात्रा के साथ मेला भवनम् पहुंचेंगे। इसके बाद दीप प्रज्ज्वलन के साथ विधिवत मेला शुरू हो जाएगा।

साल 2161 में डॉ. लोहिया ने इस मेले की परिकल्पना की और उनका यह सपना 2173 में पूरा हुआ। उनका उद्देश्य रामायण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संवर्धन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। पहले मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

ए आर एम बी, डिब्रूगढ़, पि एन बि भवन, पहली मंजिल, आर के बी पथ, डिब्रूगढ़-786001, मोबाइल- 9430085357, ई-मेल: cs8221@pnb.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) / 8(6) के शर्त के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलाम बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रुप से उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं को सूचना दि जाती है कि सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिनका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा बैंक / सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, उन्हे संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित दिनांक को "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में संबंधित संपत्तियों के अनुसार होगी।

सुरक्षित संपत्ति की सूची

क्र. सं	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ताओं/गारंटीकर्ताओं के नाम और पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम [संपत्तियो के बंधककर्ताओं]	क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तारिख ख) 31.01.2026 तक शुद्ध बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारिख घ) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/ भौतिक/रचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तारिख) ग) बोली वृद्धि राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	ई-नीलाम की तारिख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण
1	**नामसाई** **मेसर्स कमलांग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स** **i) मेसर्स कामलांग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स, पंजीकृत कार्यालय का पता:** रुपबोन, डाकघर: रुपबोन, वाया डूम डूमा, जिला: तिनसुकिया, असम- 786151 **(ii) साझेदार:** श्री राजेश अग्रवाल, पिता- बिहारीलाल अग्रवाल, फ्लैट सं.: 4-बी, स्टार समृद्धि, मकुम रोड, असम एजेंसी पेट्रोल के बगल में, जिला: तिनसुकिया, असम- 786125 **(iii) साझेदार:** श्री चाउ खुनसेंग नामचूम, पिता- स्वर्गीय चाउ पिटुत नामचूम, चौखम-III, डाकघर: चौखम, थाना- चौखम, जिला: नामसाई, अरुणाचल प्रदेश- 792103	**स्वर्गीय चाउ पिटुत नामचूम के पुत्र श्री चाउ खुनसेंग नामचूम** के नाम पर भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र (एलपीसी) सं. एनएमएस/एलपीसी-383/2011 दिनांक 12.01.2011, और फॉरस्ट एनओसी सं. एएनडी/28/02-03/ पीवी/3843-44 दिनांक 18.11.2010 द्वारा कमलांग गांव, डाकघर- अलुबारी, थाना- चौखाम, जिला- नामसाई, अरुणाचल प्रदेश- 792102 में स्थित 50,000 वर्ग मीटर माप की भूमि और उस पर निर्माण की पंजीकृत बंधक। **सीमाएँ:- उत्तर-** सड़क, **दक्षिण-** चाउ टिकौल नामचूम की भूमि, **पूर्व-** चाउ उत्का मनवाई की भूमि, **पश्चिम-** चाउ ओंगफू नामचूम की भूमि।	क) 03/01/2023 ख) रु. 45,52,788.84 साथ मे अतिरिक्त ब्याज और लागत ग) 28/03/2023 घ) प्रतीकात्मक	क) रु. 22.70 लाख ख) रु. 2.27 लाख (26.03.2026) ग) रु. 20,000/-	21.02.2026 से 26.03.2026 प्रातः 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	27.03.2026 प्रातः 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक	कुछ नहीं

ई-नीलाम बिक्री के नियम और शर्तें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

1) संपत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" आधार पर की जा रही है।
2) यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3) अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर दिए गए ई-नीलाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से **27.03.2026** को **प्रातः 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक** बिक्री की जाएगी।
4) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnb.bank.in देखें।

दिनांक: 20.02.2026
स्थान: डिब्रूगढ़

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

सरफेईसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) / 8(6) के अंतर्गत वैधानिक बिक्री सूचना